REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 576]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935
No. 576]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 671(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

सारणी

	XII X - II	
(1)	(2)	(3)
"24 .	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, रारा सं. 7, रारा सं. 11 [किमी 17.756 से किमी	उत्तर प्रदेश
	42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 19, रारा	की राज्य
	सं. 24 [(किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादाबाद बाइपास सहित	सरकार"
	गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर],	
	रारा सं. 24ए, रारा सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से	

(1)

किमी 5.410 (रारा 27 का नया संरेखण) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28बी, 28सी, रारा सं. 29, रारा सं. 56, रारा सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 72ए, रारा सं. 73, रारा सं. 74, {किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर), रारा सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 76, रारा सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 91ए, रारा सं. 92, रारा सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 79.00 (आगरा-अलीगढ़ खंड), रारा सं. 96, रारा सं. 97, रारा सं. 119, रारा सं. 232ए, रारा सं. 233, रारा सं. 235, नई रारा सं. 330ए, नई रारा सं. 730, नई रारा सं. 730ए, नई रारा सं. 931, और नई रारा सं. 931ए के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं ।

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-3491 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION New Delhi, the 5th March, 2014

S.O. 671(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

	TABLE	
(1)	(2)	(3)
"24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km. 17.756 to Km. 42.525	State
	(Agra - UP/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from Km. 27.62 to Km. 488.27	Government
	(Ghaziabad – Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses),	of Uttar
	No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new	Pradesh".
	alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C, No.29, No.56, No.58 [excluding from Km. 52.250 to	
	Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No.72A, No.73,	
	No.74 {excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)},	
	No.75 [excluding from Km. 90.00 to Km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh	
	border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From Km. 7.43 to Km. 130.100 (Kanpur to Kabrai	
	section)], No. 91[excluding from Km. 23.600 to Km. 419.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur	
	section)], No.91A, No.92, No.93 [excluding from Km. 0.00 to Km. 79.00 (Agra- Aligarh	
	section), No.96, No.97, No.119, No. 232A, No. 233, No. 235, New No. 330A, New No.730,	
	New No. 730A, New No.931, and New No.931A as are situated within the State of Uttar	
	Pradesh.	

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M]

V. KRISHANASWAMY, Dy. Secy.

Foot note : The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 3491 (E), dated the 26th November, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 672(अ).-केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 16 मई, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1228 (अ), दिनांक 16 मई, 2013 को एतद्दवारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है ।

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पी एंड एम] वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

S.O. 672(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1228 (E), dated the 16th May, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 16th May, 2013, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M] V. KRISHANASWAMY, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 452 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित का विलोप किया जाएगा:-

"56	731	उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ-सुल्तानपुर	किमी 11.500 से 134.700''
"235	334	उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ - बुलंदशहर	किमी 7.469 से 66.482"

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पी एंड एम]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 452 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012 दवारा प्रकाशित किया गया था

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

S.O. 673(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 452 (E), dated the 16th March, 2012 namely:-

In the Table to the said notification, the following entries in respect of the State of Uttar Pradesh, under columns number (1), (2), (3) and (4) respectively shall be omitted:-

"56	731	Lucknow-Sultanpur in the State of Uttar Pradesh	From km. 11.500 to km. 134.700"
"235	334	Meerut-Bulandshahar in the State of Uttar Pradesh	From Km. 7.469 to Km. 66.482."

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M]

V. KRISHANASWAMY, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 452 (E), dated the 16th March, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 674(अ).– केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1521 (अ), तारीख 24 जून, 2010 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित का विलोप किया जाएगा:-

"29	उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी - गोरखपुर खंड	किमी 2.225 से 208.500"
		[फा.सं. एनएच-14013/9/2012-पी एंड एम]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1521 (अ), तारीख 24 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

S.O. 674(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1521 (E), dated the 24^{th} June, 2010 namely:-

In the Table to the said notification, the following entries in respect of the State of Uttar Pradesh, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

"29 Varanasi-Gorakhpur section in the State of Uttar Pradesh	From Km. 2.225 to Km. 208.500."
--	---------------------------------

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M]

V. KRISHANASWAMY, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1521 (E), dated the 24th June, 2010.